

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक: प. 4(9)पपा/2021

जयपुर, दिनांक: 18 OCT 2021

आदेश

विभागीय समसंख्यक विभिन्न आदेशों द्वारा जारी स्थानांतरण आदेशों की पालना सुनिश्चित कराये जाने हेतु पशुपालन सेवा के स्थानांतरणाधीन अधिकारियों को उनके वर्तमान पदस्थापित कार्यालय से तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश जारी होने की तिथी से दो दिवस में नवपदस्थापन स्थान/पद पर कार्यग्रहण कर निदेशक, पशुपालन विभाग को सूचित करावें।




उक्त आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।


(लक्ष्मीकान्त बालोत)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें तथा आदेशों की पालना न किये जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर इस विभाग को सूचित करावें।
4. संबंधित अति० निदेशक (क्षेत्र)/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/नियंत्रण अधिकारी/कार्यालय अध्यक्ष, पशुपालन विभाग को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों की व्यक्तिशः पालना सुनिश्चित करावें।
5. सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक पालनार्थ।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव



राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग


क्रमांक: प. 5(12)पपा/2021

जयपुर, दिनांक: 18 JUL 2021

आदेश

विभागीय समसंख्यक विभिन्न आदेशों द्वारा जारी स्थानांतरण आदेशों की पालना सुनिश्चित कराये जाने हेतु पशुपालन विभाग के स्थानांतरणाधीन कार्मिकों को उनके वर्तमान पदस्थापित कार्यालय से तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश जारी होने की तिथी से दो दिवस में नवपदस्थापन स्थान/पद पर कार्यग्रहण कर निदेशक, पशुपालन विभाग को सूचित करावें।


उक्त आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।


(लक्ष्मीकान्त बालोत)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें तथा आदेशों की पालना न किये जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर इस विभाग को सूचित करावें।
4. संबंधित अति० निदेशक (क्षेत्र)/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/नियंत्रण अधिकारी/कार्यालय अध्यक्ष, पशुपालन विभाग को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों की व्यक्तिशः पालना सुनिश्चित करावें।
5. सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक पालनार्थ।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव
ok